मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल सेवाएँ (लिपिक वर्गीय/कार्यपालक/तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी) भरती तथा सेवा शर्ते विनियम, 1977

1) संक्षिप्त नाम
2) परिभाषाएं
3) विस्तार तथा प्रयुक्ति
4) सेवा का गठन
5) वर्गीकरण वेतनमान आदि
6) भरती तथा पदोन्नति का तरीका
7) सेवा में नियुक्ति
8) सीधी भरती की पात्रता की शर्ते
9) अर्हताए
10) उम्मीदवार की पात्रता के बारे मे नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.-
11) प्रतियोंगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती
12) विभागीय चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची
13) पदो न्नति द्वारा नियुक्ति
14) पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्ते
15) उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना
16) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश
17) चयन सूची
18) चयन सूची से सेवा
19) में नियुक्ति
20) परिवीक्षा
21) नियुक्ति की विशेष शक्तियाँ
22) मंडल का निर्णय
23) निरसन और व्यावृत्ति

- अनुसूची – एक भाग क, भाग ख
- अनुसूची-दो
- अनुसूची-तीन
- अनुसूची-चार

मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल सेवाएँ (लिपिक वर्गीय/कार्यपालक/तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी) भरती तथा सेवा शर्ते विनियम, 1977

1. संक्षिप्त नाम.- (1) ये विनियम, मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मंडल सेवाएं (लिपिक वर्गीय/ कार्यपालक तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी) भरती तथा सेवा शर्ते विनियम, 1977 कहलाएँगे ।

(2) वे, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' मे उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे ।

2. परिभाषाएं- इन विनियमो मे, जब तक प्रसग से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 (क्रमांक 3 सन् 1973)

(ख) **''नियुक्ति प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14 तथा 16 के अधीन नियुक्तियां तथा पदोन्नतियाँ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

(ग) **''अनुसूचि''** से अभिप्रेत है इन विनियमो मे संलग्न अनुसूचि

(घ) **''अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों''** का वही अर्थ होगा, जो उनके लिये क्रमश. भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) तथा (25) मे समनुदेशित किया गया है और जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसी जातियो के रूप मे अधिसूचित की गई हे

(ड) **''सेवा''** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल लिपिकवर्गीय/कार्यपालक सेवा तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी

(च) **''विभागीय चयन समीति''** से अभिप्रेत अनुसूची तीन मे यथाविनिर्दिष्ट मंडल-प्रशासक द्वारा नियुक्त समिति

(छ) **''विभागीय पदोन्नति समिति''** से तात्पर्य अनुसूची मे यथा विनिर्दिष्ट मंडल/प्रशास्रक द्वारा नियुक्त समिति

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति.- ये विनियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होगे ।

4. **सेवा का गठन.**- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होगे, अर्थात-

(एक) वे व्यक्ति जो इन विनियमो के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची एक मे विनिर्दिष्ट पद मूलत:/स्थापन्न रूप धारण कर रहा हो ।

(दो) वे व्यक्ति, जो इन विनियमो के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा मे भरती किए गए. हो, और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबन्धो के अनुसार सेवा मे भरती किये गये हों ।

5. वर्गीकरण वेतनमान आदि.- सेवा का वर्गीकरण, सम्मिलित पदो की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची एक मे विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगे ।

6. भरती तथा पदोन्नति का तरीका.- (1) इन विनियमो के प्रारम्भ होने के बाद सेवा मे भरती निम्नलिखित तरीको से की जाएगी, अर्थात् -

(क) विभागीय चयन समिति द्वारा की गई प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार (इंटरव्यू) के जरिये सीधी भरती

द्वारा ।

(ख) अनुसूची तीन के कालम (2) तथा (3) मे दर्शाए गए अनुसार सेवा के सदस्यो की पदोन्नति द्वारा ।

(2) इन विनियमो के उपबन्धो के अध्यधीन रहते हुए भरती किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा की किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियो को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका तथा भरती किये जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियो की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जायेगी

7. सेवा में नियुक्ति.- इन विनियमो के प्रारम्भ होने के बाद सेवा मे समस्त नियुक्तियां विनियम 6 के अनुसार की जायेगी ।

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्ते - चयन किये जाने के लिए पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् -

(क) भरती के विज्ञापन मे अधिसूचित की जाने वाली तारीख को उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु 28 वर्ष की आयू प्राप्त न की हो, उसे मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो उसकी अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष तक बढाई जा सकेगी ।

(ग) उन उम्मीदवारो के संबंध मे जो मध्यप्रदेश शासन या मंडल या स्वशासी निकायो के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो निम्नलिखित सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन आयु सीमा मे छूट दी जायेगी ।

(एक) उस उम्मीदवार की आयु जो शासन/मण्डल का स्थायी कर्मचारी हो, 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(दो) अस्थायी शासकीय कर्मचारी तथा स्वशासी निकायो के कर्मचारियो की आयु तीस वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए । यह रियायत कार्यप्रभारित कर्मचारीवृन्द और आकस्मिकता निधि से वेतन जाने वाले कर्मचारीवृन्द तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियो मे कार्य कर रहे व्यक्तियो को भी दी जाएगी ।

(तीन) ऐसे उम्मीदवार को, जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु मे से उसके द्वारा की गई सपूर्ण अस्थायी सेवा को अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी,, भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओ का योग हो, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण - ''शब्द छटनी किए गए शासकीय कर्मचारी'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है,. जो इस राज्य की अस्थायी शासकीय सेवा मे कम से कम छह माह तक निरन्तर रहा हो, तथा जो रोजगार कार्यालय मे अपनी पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा मे नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियो की संख्या में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो ।

(चार) ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयू मे से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी । बशर्ते उसके परिणामस्वरूप- जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा 7 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण - शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गो मे से किसी एक वर्ग मे रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय मे अपना पंजीयन कराने अथवा मंडल में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट की सिफारिशो के फलस्वरूप या कर्मचारियो की संख्या मे सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण जिसकी छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियो की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो,

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे समय पूर्व निवृत्ति रियायतो (मास्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे दुबारा भरती किया गया हो, और
(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
(ख) भरती संबंधी शर्तो को पूरी हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो ।

(3) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हे अनुबन्ध पूरा होने पर सेवा मुक्त किया गया हो (जिसमे अत्यावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है) ।

(4) ऐसे अधिकारी, जिन्हे अवकाश रिक्तियो पर छ: माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(5) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किए गये भूतपूर्व सैनिक ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं रहे ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने अथवा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सा मंडल की सिफारिशो के अनुसार सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(घ) शैक्षिक अर्हताएं - उसके पास अनुसूची दो मे दर्शायी गई सेवा के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ होनी चाहिए, परन्तु अपवादात्मक मामलो मे मंडल के अनुमोदन से नियुक्ति प्राधिकारी जहाँ मंडल नियुक्ति प्राधिकारी न हो, उस उम्मीदवार को अर्ह' समझ सकेगा यद्यपि उसके पास इस खंड मे निहित कोई अर्हता हो, तथापि उसने उन मानक से अन्य संस्थाओ द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जो नियुक्ति प्रधिकारी की राय मे उम्मीदवार के चयन करने के लिए उचित हो ।

9. अर्हताए.- उम्मीदवार की ओर से अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी माध्यम से किया गया कोई भी प्रयास उसे उस पद पर चयन के लिए अपात्र ठहराएगा ।

10. उम्मीदवार की पात्रता के बारे मे नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.- पद पर नियुक्ति के लिए चयन/चयन हेतु परीक्षा मे प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अन्य किसी बात के विषय मे नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

11. प्रतियोंगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती.- (1) (क) सेवा मे भरती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसी अन्तरालों मे आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय चयन समिति के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे ।
(ख) विभागीय चयन समिति द्वारा परीक्षा सचालन ऐसे आदेशो के अनुसार किया जायेगा जो मंडल द्वारा समय-समय पर जारी किए जावे ।

(2) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानने के 18 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान उतने प्रतिशत स्थान जो, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर नियत किए जाए उन उम्मीदवारो के लिए आरक्षित रखे जायेगे जो क्रमश' अनुसुचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के सदस्य हो ।

(3) इस प्रकार आरक्षित रखे गये रिक्त स्थानो को भरते समय अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवारो को नियुकिा पर विचार नियम 12 मे निर्दिष्ट सूची मे आये उनके नामो के क्रम अनुसार किया जायेगा चाहे अन्य उम्मीदवारो की तुलना मे उनका सापेक्ष स्थान कुछ भी क्यो न हो ।

(4) सेवा मे नियुक्ति के लिए विभागीय चयन समिति द्वारा यथोचित घोषित किए गये अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवारो के लिए आरक्षित रिका स्थानो पर नियुक्त किये जा सकेगे ।

(5) यदि अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवार उनके लिए .आरक्षित रखे गये सभी रिक्त स्थानो को भरने के लिए पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध न हो तो शेष रिक्त स्थान उन अन्य उम्मीदवारों मे से भर लिए जायेगे जिनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की गई हो ।

(6) सीधी भरती के लिए आवेदन-पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किए जायेगे -

(क) अर्हता प्राप्त उम्मीदवार की सूची रोजगार कार्यालय से मंगाई जायेगी ।
(ख) मंडल के कर्मचारी अपने आवेदन- पत्र मुख्य कार्यालयो के माध्यम से भेजेगे जो यथोचित टिप्पणी के साथ अग्रेषित किये जायेंगे ।
(ग) कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रो मे विज्ञापन देकर, ।
(घ) यदि समाचार- पत्रो मे विज्ञापन देना आवश्यक न समझा जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी पहले ही ले ली जाएगी ।

(7) विभिन्न पदो के लिए फीस अनुसूची चार के अनुसार ली जायेगी ।

(8) अर्हता प्राप्त उम्मीदवार को अन्तिम चयन के पूर्व साक्षात्कार के लिए आना पडेगा ।

12. विभागीय चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची. - (1) विभागीय चयन समिति ऐसे उम्मीदवारो की सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा जिनके नाम योग्यता क्रम मे होगे और जो विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार अर्ह हो और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के उन उम्मीदवारो के नामों की एक व्यवस्थित सूची भेजेगा, जिन्हे विभागीय चयन समिति से प्रशासन मे दक्षता बनाये रखने का यथोचित ध्यान रखते हुए सेवा मे नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया हो ।

(2) इन नियमो तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के उपबन्धो के अध्यधीन उपबन्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए चयन किय गये उम्मीदवारो के बारे मे उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिस क्रम से सूची मे उनके नाम दिये गये हो ।

(3) जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान उसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली जाँच पडताल से न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा मे या पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है तब तक उपनियम (1) के निर्दिष्ट सूची मे उम्मीदवार का नाम शमिल होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार नही मिल जाता ।

13. पदो न्नति द्वारा नियुक्ति. - (1) एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी जिसमे पात्र उम्मीदवारो की पदोन्नति के लिए प्रारम्भिक चयन करने के लिए अनुसूची तीन मे वर्णित सदस्य होगे।

(2) समिति की बैठक अंतरालो मे होगी जो नियुक्ति प्रधिकारी अत्यावश्यकता को देखते हुए नियत करे ।

(3) विभागीय पदोन्नति समिति को प्रस्तुत करने के लिए सवा मे सेवा के समरूपी कर्मचारियो की एक व्यापक ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी ।

14. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्ते. - (1) विभागीय पदोन्नति समिति उन सभी व्यक्तियो के मामले पर विचार करेगी जिन्होने उस वर्ष की पहली जनवरी को .उस पद पर जिसमे अगले उच्च पद पर पदोन्नति की जाती है, 5 वर्षों की सेवा (स्थानापन्न या मूलरूप मे) पूरी कर ली हो ।

(2) कनिष्ठ लेखा परीक्षको के पदो पर पदोन्नति अधीनस्थ पदो पर कार्यरत केवल उन व्यक्तियो मे से की जायेगी जिन्होने लेखाओ संबंधी अर्हता प्राप्त कर ली हो । अर्हता प्राप्त व्यक्तियो को न मिलने पर इन पदो पर पदोन्नति किए गए व्यक्तियो को पदोन्नति की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर लेखाओं संबंधी अर्हता प्राप्त करनी

पडेगी अन्यथा उन्हे प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा

(3) चतुर्थ श्रेणी के पदों से नि. श्रे. लि. तथा मुद्र लेखक के पदो पर पदोन्नति इस शर्त के अधीन की जायेगी कि चतुर्थ के कर्मचारियो ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा तथा मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो

(4) रोकडिया/प्रधान रोकडिया का पद केवल योग्यता के आधार पर तथा उन कर्मचारियो मे से भरा जाएगा जिनके पास अनुभव हो तथा विश्वास पात्र हो ।

15 उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना. - (1) विभागीय पदोन्नति समिति नियम 14 के उपनियम (1) मे वर्णित व्यक्तियो की सूची तैयार करगी जो उक्त नियम मे निर्धारित शर्तो को पूरा करते ही तथा जो सेवा मे पदोन्नति के लिए उपयुक्त जाए जाये । यह सूची दो वर्ष तक होने वाले रिक्त स्थानो को भरने के लिए पर्याप्त होगी ।

(2) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुर्नविलोकन तथा पुन: परीक्षण किया जायेगा ।

(3) यदि इस प्रकार के चयन पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की आदेशिका मे सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाये तो विभागीय पदोन्नति समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के सबध मे अपने कारणो को लेखबद्ध करेगी ।

16. विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश. - (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची पदोन्नति समिति द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत की जायेगी ।

(क) ऐसे व्यक्तियो का अभिलेख जिनका अधिक्रमण किया जाना प्ररतावित हो और
(ख) प्रस्तावित अधिक्रमण के सबध मे विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा लेखबद्ध कारण ।

17. चयन सूची -

(क) नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजो के साथ विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और सूची को अनुमोदित करेगा । इस प्रकार अनुमोदित सूची अनुसूची तीन के कालम (2) मे दर्शाई गई श्रेणी के कर्मचारियो की अनुसूची तीन के कालम (3) मे दर्शाई गई श्रेणी मे पदोन्नति की चयन सूची होगी ।

(ख) चयन सूची सामान्यतया तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (2) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण मे किया जाए परन्तु चयन सूची मे सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्यो के पालन अथवा निर्वाह मे गम्भीर चूक होने की स्थिति मे नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि विभागीय चयन समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी ।

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति. – सीधी भारती के लिए चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेव संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जायेगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में हो ।

19. परिवीक्षा.- सेवा में सीधे भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, एक वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा कर नियुक्त किया जायेगा बशर्ते रिक्त स्थान स्थायी हो अन्यथा सभी नियुक्तिया आगामी आदेशो तक अस्थायी रूप में की जावेगी ।

20. नियुक्ति की विशेष शक्तियाँ.- इन नियमों में से किसी बातों के अंतर्विष्ट होते हुए भी मंडल के अनुमोदन से अध्यक्ष मंडल के मृत कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति कर सकेगा बशर्ते कर्मचारी की मृत्यु मंडल की सेवा के दौरान हुई हो परन्तु आश्रित व्यक्ति के पास पद के लिये विहित न्यूनतम अहर्ताए हो । इस प्रयोजन के लिये परिवार की परिभाषा राज्य शासन के मूलभूत नियमों में दी गई परिभाषा के अनुसार होगी ।

21. मंडल का निर्णय :- यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उसे मंडल को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

22. निरसन और व्यावृत्ति.- इन विनियमो के सभी तत्स्थानी नियम, विनियम और आदेश जो इनके आरंभ होने के ठीक पहले लागू हो इन विनियमो के अंतर्गत आने वाले विषयो के सम्बन्ध में इसके द्वारा निरसित किये जाते है ।

परन्तु इन विनियमो के लागू होने के पूर्व इस निरसित नियमों, विनियमो तथा आदेशो के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही इन विनियमो के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जावेगी ।

अनुसूची – एक
भाग क
[विनियम 4 (एक) देखिए]

अनुक्रमांक	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	सेवा का वर्गीकरण	सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या	पदोन्नति द्वारा से भरे जाने वाले पदों की संख्या	अन्य विभागों से अंतरण द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या	टिप्पणिया	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	निम्न श्रेणी लिपिक	134 स्थायी 152 अस्थायी	लिपिक वर्गीय	95 :	5 :	कुछ नहीं	.....	रु. 169-300
2.	किराया सहायक	5 अस्थायी 5 अस्थायी	तदैव	95 :	5 :	.....	.....	रु. 169-300
3.	उच्च श्रेणी लिपिक	156 स्थायी 69 अस्थायी	तदैव	25 :	75 :	कुछ नहीं	.....	रु 156-330
4.	प्रवर श्रेणी लिपिक	7 स्थायी 7 अस्थायी	तदैव	.....	100 :	कुछ नहीं	.....	रु. 246-460
5.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	3 स्थायी 7 अस्थायी	तदैव	25 :	75 :	विभागीय परीक्षा	.....	रु. 205-375 रु. 50 सहित
6.	बस्ती (कॉलोनी) पर्यवेक्षक	5 स्थायी 5 अस्थायी	तदैव	25 :	75 :	.....	.....	रु. 190-330
7.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	3 स्थायी 1 अस्थायी	तदैव	कुछ नहीं	100 :	विभागीय परीक्षा	.....	रु. 246-460
8.	प्रधान रोकडिया	1 स्थायी	लिपिक वर्गीय	कुछ नहीं	100 :	विभागीय परीक्षा	.....	रु. 246-460
9.	प्रधान सहायक	7 स्थायी 3 अस्थायी	तदैव	कुछ नहीं	100 :	विभागीय परीक्षा	.....	रु. 246-460
10.	कनिष्ठ लेखापाल	1 स्थायी 1 अस्थायी	तदैव	50 :	50 :	.....	.....	रु. 246-460
11.	लेखापाल तथा आगम लेखापाल	7 स्थायी 4 अस्थायी	तदैव	कुछ नहीं	100 :	विभागीय परीक्षा	.....	रु. 280-480
12.	सहायक सम्पदा प्रबंधक	5 स्थायी 2 अस्थायी	तदैव	50 :	50 :	विभागीय परीक्षा	.....	रु. 280-480
13.	निजी सहायक तथा शीघ्र लेखक	1 स्थायी 1 अस्थायी	तदैव	कुछ नहीं	100 :	विभागीय परीक्षा	.....	रु. 400-675
14.	किराया संग्रहणकर्ता	5 स्थायी 5 अस्थायी	तदैव	100 :	.....	.....	.....	रु. 195-330
15.	शीघ्र लेखक	2 स्थायी	तदैव	100 :	.....	.....	.....	रु. 280-480

		2 अस्थायी						
16.	अधीक्षक (वृत्त)	2 स्थायी 2 अस्थायी	तदैव	.....	100 :	.....	.....	रु. 400-675
17.	प्रधान मानचित्रकार	3 स्थायी 2 अस्थायी	तदैव	कुछ नहीं	100 :	.....	.....	रु. 280-480 (रु.50 एवं रु. 75 सहित)
18.	मानचित्रकार (सिविल)	9 स्थायी 9 अस्थायी	तदैव	35 :	65 :	.....	.....	रु. 280-480
19.	मानचित्रकार (वास्तुकला)	1 स्थायी 1 अस्थायी	तदैव	कुछ नहीं	100 :	.....	.....	रु. 205-375 रु. 50 सहित
20.	सहायक मानचित्रकर (वास्तुकला)	1 स्थायी	तदैव	कुछ नहीं	100 :	.....	.....	रु. 205-375 रु. 15 15 सहित
21.	अनुरेखक (वास्तुकला)	1 स्थायी	तदैव	100 :	कुछ नहीं	.....	.....	रु. 155-252
22.	अनुरेखक (सिविल)	21 स्थायी 33 अस्थायी	तदैव	100 :	कुछ नहीं	.....	.....	रु. 155-252
23.	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	26 स्थायी 23 अस्थायी	तदैव	25 :	75 :	.....	.....	रु. 205-375 (रु. 15 सहित)
24.	सब ओवरसियर (12 इलेक्ट्रिकल)	27 अस्थायी	कार्यपालक तृतीय श्रेणी	100 :	कुछ नहीं	.....	.....	रु. 205-375
25.	ओवरसियर (इलेक्ट्रिकल)	6 स्थायी 6 अस्थायी	तदैव	80 :	20 :	.....	.....	रु. 280-480
26.	ओवरसियर (सिविल)	26 स्थायी 23 अस्थायी	तदैव	25 :	75 :	.....	.....	रु. 205-375 (रु. 15 सहित)

अनुसूची-एक
भाग ख
[विनियम एक देखिए]

क्रमांक	पद का नाम	कुल पद	सीधी भरती द्वारा भरे भरे जाने वाले पदों की संख्या	पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों कि संख्या	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	दफ्तरी	5	कुछ नहीं	100 :	रु. 131-164
2.	चपरासी	191	100 :	कुछ नहीं	रु. 152-150
3.	फैरो मुद्रक	1	.....	100	रु. 131-164
4.	चालक	18	100 :	.....	रु. 155-252
5.	चौकीदार	14	100 :	.....	रु. 125-150

अनुसूची-दो
[विनियम 8 (घ) देखिये]

क्रमांक	पद का नाम	विहित अहर्ताए
(1)	(2)	(3)
1.	ओवरसियर	त्रिवर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा)
2.	वरिष्ठ ओवरसियर/सहायक मानचित्रकार	सिविल इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) या त्रिवर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम ।
3.	अनुरेखक	आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र या प्रारम्भिक तथा इंटर ड्रइंग उत्तीर्ण
4.	शीघ्र लेखक	उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र और शीघ्र लेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा मंडल म.प्र. का शीघ्रलेखन प्रमाण-पत्र
5.	निम्न-श्रेणी लिपिक/किराया सहायक	उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन परीक्षा बोर्ड म.प्र. से या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण की हो
6.	प्रथम श्रेणी लिपिक/किराया संग्रहणकर्ता/बस्ती पर्यवेक्षक तथा प्रवर श्रेणी लिपिक	बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी.
7.	मानचित्रकार (वास्तुकला)	वास्तुकला में मानचित्रकारी की पत्रोपाधि (डिप्लोमा)
8.	अनुरेखक	प्रारम्भिक तथा इंटर ड्राइंग परीक्षा या समकक्ष परीक्षा ।

नोट – केवल मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थाओं की उपाधियों या पत्रो पाधिया ही स्वीकार की जावेगी

(1)	(2)	(3)
1.	दफ्तरी	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण
2.	चपरासी	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण
3.	फेरो मुद्रक	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण
4.	चलक	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से प्राप्त चालक लायसेंस
5.	चोकीदार	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण

अनुसूची-तीन

[विनियम 13 देखिये]

नियम 13 के अधीन
पदोन्नति का तरीका

अनुक्रमांक	उप पद या सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
		तकनीकी (प्रधान कार्यालय)	
1.	वास्तुकला सहायक मानचित्रकार	मानचित्रकार (वास्तुकला)	1. मुख्य अभियंता-अध्यक्ष 2. उपायुक्त (सामग्री प्रबंध)-सदस्य 3. लेखा अधिकारी-सदस्य
2.	मानचित्र (सिविल)	वृत्त तथा प्रधान-कार्यालय के के लिये प्रधान मानचित्रकार (सिविल)	
3.	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	मानचित्रकार (सिविल)	1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा मनोनीत वृत्त के गृह 2. लेखाधिकारी सदस्य 3. प्रशासकीय अधिकारी – सदस्य
4.	अनुरेखक (सिविल)	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	
5.	अनुरेखक (वास्तुकला)	सहायक मानचित्रकार (वास्तुकला)	
6.	वरिष्ठ ओवरसियर (इलेक्ट्रिकल तथा सिविल)	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	
7.	निम्न श्रेणी लिपिक/किराया सहायक	प्रथम श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ लेखापाल/प्रधान सहायक वरिष्ठ लेखा सहायक/रोकडिया/किराया संग्रहणकर्ता/कॉलोनी सुपरवाइजर	
8.	प्रथम श्रेणी लिपिक	वरिष्ठ लेखा परीक्षक/कनिष्ठ लेखापाल/ प्रधान सहायक/लेखापाल सहायक सम्पदा प्रबंधक/अवर श्रेणी लिपिक	
9.	प्रधान सहायक	लेखापाल/सहायक सम्पदा प्रबंधक/आगम लेखापाल	
10.	लेखापाल	अधीक्षक (वृत्त)	
11.	अधीक्षक (वृत्त)	अनुभाग अधिकारी	
12.	शीघ्र लेखक	निज सहायक	
13.	निजी सहायक	निजी सचिव	
टीप- अराजपत्रित पद से राजपत्रित पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारियो को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।			

अनुसूची-चार

[विनियम 11 (7) देखिये]

सीधी भरती भरे जाने वाले पदों के लिए फीस

क्रमांक	पदों का नाम	फीस रूपये
(1)	(2)	(3)
1.	निम्न श्रेणी लिपिक/किराया सहायक	10 रुपए
2.	चपरासी/चालक	5-00
3.	ओवरसियर	10-00
4.	वरिष्ठ लेखक	10-00

5.	शीघ्र लेखक	10-00
6.	मानचित्रकार	10-00
7.	सहायक मानचित्रकार	10-00
8.	अनुरेखक	10-00

टीप- अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों तथा भूतपूर्व सैनिको से विहित फीस विहित फीस का 50 प्रतिशत लिया जायेगा !